अति–आवश्यक
ई–मेल

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन राज. जयपुर

क्रमांक एफ 1(43)लेखा/बजट /2021–22/3826-928. दिनांक 22/09/21
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पशुपालन विभाग, राजस्थान।

विषय :– आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये संशोधित अनुमान प्रस्तुत करने बाबत।
प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ.1(43)लेखा/बजट/2021–22/3242–3344 दिनांक 13.09.2021 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासांगिक पत्र द्वारा आय–व्ययक अनुमान 2022–23 एवं संशोधित अनुमान 2021–22 निर्धारित समयावधि में ऑन लाइन कर हार्ड प्रति सहित निदेशालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु तिथि वाइज निर्देशित किया गया था । परन्तु तकनीकी कारणो से IFMS के माध्यम से प्रपत्र 9 एवं 10 ऑन लाइन नही हो पाने के कारण दिनांक 20.09.2021 से 30.09.2021 तक (तय तिथि) से सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारियो का कार्यक्रम स्थगित किया जाता हैं। उक्त कार्यालयों के बजट अनुमानो हेतु नवीन तिथि से सम्बन्धित को शीघ्र अवगत करा दिया जावेगा।

साथ ही बजट प्रस्ताव तैयार करते समय बजट विभाग के परिपत्र प.4 (48) वित–1(1) आ.व्यय/2021 दिनांक 06.09.2021 का पूर्ण घ्यान रखा जावें तथा बिन्दु सूख्या –8 में अकिंत वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 28.12.2020 के अनुसार विभाग की देयताओ को एकीकुत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) पर UPLOAD किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों /खण्डीय अधिकारियो कार्यालयवार बजट आवंटन किया गया है अथवा नही किया गया है, (दोनो स्थितियों में) IFMS/PAY MANAGER/WAM MODULE पर upload किया जाना अनिवार्य हैं । विभाग की बकाया देयताओ (out standing liabilities) में उन्ही देयताओ को माना जावेगा जो IFMS पर IFMS/PAY MANAGER/WAM MODULE पर upload कर दिये गए है। चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में IFMS/PAY MANAGER/WAM MODULE में अब तक के व्यय (BOOKED EXPENDITURE) सिस्टम पर दर्ज बकाया बिल (outstding uploaded bills) एवं शेष अवधि के लिए अनुमानित व्यय के आधार पर ही संशोधित अनुमान 2021–22 के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जावे ।

सलंग्न :– परिपत्र दिनांक 06.09.2021

(दुर्गेश राजोरिया)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक एफ 1(43)लेखा/बजट/2020–21/ दिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1 संयुक्त निदेशक, (सांख्यिकी) एवं राज्य पशु गणना अधिकारी, राजस्व मण्डल, अजमेर एवं पंजीयक, पशु चिकित्सा परिषद, जयपुर ।
2 समस्त अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्र, पशुपालन विभाग राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीनस्थ सभी कार्यालयों को निर्देशित करें ।
3 अतिरिक्त निदेशक, (उत्पादन, मोनिटरिंग,स्वास्थ्य,फार्म एवं सम्पदा), निदेशालय जयपुर ।
4 ACP निदेशालय पशुपालन विभाग राजस्थान ,जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।

वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय--व्ययक अनुभाग)

आय–व्ययक महत्त्वपूर्ण
समस्त नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र का कृपया अत्यन्त सावधानीपूर्वक पठन कर सभी स्तरों पर वांछित कार्रवाई सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

बजट प्रबंधन प्रक्रिया संबंधी परिपत्र

क्रमांक :प.4(48)वित्त–1(1)आ.व्य./2021 जयपुर, दिनांक :06 सितम्बर, 2021

विषयः–आगामी वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए आय–व्ययक अनुमान तथा चालू वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए संशोधित अनुमान हेतु बजट प्रबंधन प्रक्रिया।

1. वित्तीय प्रबंधन एवं प्रक्रियाओं हेतु वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही बजट अनुमानों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। बजट नियंत्रण अधिकारियों से यह अपेक्षा है कि बजट अनुमानों का विश्लेषण एवं प्रेषण बजट घोषणा, जन घोषणा, प्रतिबद्ध दायित्वों, योजनान्तर्गत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए करें।
2. वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी को IFMS पर online बजट आवंटन किया जाता है। जिसे बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों को online आवंटन किया जाता है। इस प्रक्रिया के स्थान पर दिनांक 01.04.2022 से वित्त विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रण अधिकारी को pool के रूप में बजट आवंटन किया जायेगा। बजट नियंत्रण अधिकारी के अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा बिल बनाने पर बिल की राशि इस pool राशि में से आहरण वितरण अधिकारी को system पर स्वतः उपलब्ध हो जायेगी। इससे बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ आहरण एवं वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन/पुर्नवितरण की आवश्यकता नही रहेगी।
3. वित्तीय वर्ष 2020–2021 तक योजनाओं (Schemes) की BFC आयोजना विभाग द्वारा जारी विभागवार एवं योजनावार सीलिंग के आधार पर की जाती थी। वित्तीय वर्ष 2021–2022 की योजनाओं की BFC में आयोजना विभाग द्वारा जारी विभागवार एवं योजनावार सीलिंग की प्रक्रिया के स्थान पर योजना की आवश्यकतानुसार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर बजट प्रावधान किया गया था। आगामी वित्तीय वर्ष 2022–2023 में भी इसी प्रक्रियानुसार उपलब्ध संसाधनों व विभाग की आवश्यकतानुसार योजनाओं में बजट प्रावधान वित्त विभाग द्वारा किया जावेगा।
4. केन्द्र सरकार द्वारा 1 जुलाई, 2021 से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं (CSS) एवं केन्द्रीय योजनाओं (CS) के संचालन हेतु प्रत्येक योजना के लिए राज्य नोडल एजेन्सी (SNA) के बैंक खाते खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अनुसार इन योजनाओं का संचालन SNA/कार्यकारी एजेन्सी (IAs) के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाना है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी SOP के Model-4 के अनुसार IFMS को PFMS से एकीकृत (integrated) किया जाना है। केन्द्रीय सहायता से संचालित योजनाओं को PFMS

Code से भी Map करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। बजट अनुमान तैयार करते समय भी CSS व राज्य योजना के code स्वतः system पर प्रदर्शित होंगे। इस हेतु वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 23.03.2021, 30.06.2021 एवं वित्त (मार्गोपाय) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26.08.2021 एवं समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की संबंधित विभागों द्वारा पालना सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

5. कृषकों के कल्याण तथा कृषि एवं सम्बद्ध योजनाओं के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसरण में आगामी वित्तीय वर्ष 2022–2023 के राज्य बजट में कृषि बजट प्रस्तुत किया जाना है। संबंधित समस्त विभागों द्वारा अभिसरण (convergence) सुनिश्चित करते हुए एकीकृत योजना (Integrated Planning) की जानी अपेक्षित है। वित्त (आय–व्ययक) विभाग के परिपत्र दिनांक 05.08.2021 के अनुसार सम्बन्धित विभाग आवश्यक सूचना प्रपत्र–15 में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
6. वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग में पूंजीगत निर्माण कार्यों में निर्माण कार्य एवं प्रतिशतता चार्जेज के पृथक–पृथक बजट शीर्षो में प्रावधान किया जा रहा है एवं RajKosh/ WAM module में निर्माण कार्य एवं प्रतिशतता चार्जेज के पृथक–पृथक बिल बनाये जाते हैं। जिससे प्रतिशतता चार्जेज पूंजीगत व्यय के रूप में प्रदर्शित हो जाता है परन्तु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) एवं जल संसाधन विभाग (Water Resources) में निर्माण कार्यों हेतु प्रोरेटा/प्रतिशतता चार्जेज़ परिभाषित नहीं होने के कारण भुगतान के साथ में संस्थापन व्यय पूंजीगत व्यय के रूप में book नहीं होता है। अपितु यह वित्तीय वर्ष के अंत में प्रोरेटा/प्रतिशतता चार्जेज की गणना उपरांत समायोजन प्रविष्टि के आधार पर book होता है। यह व्यय बिल/मासिक आधार पर WAM पर प्रतिशतता चार्जेज के रूप में पूंजीगत व्यय के रूप में book होना अपेक्षित है।

   अतः आगामी वित्तीय वर्ष 2022–2023 के बजट अनुमानों में पूंजीगत व्यय के बजट शीर्षों के अंतर्गत प्रोरेटा/प्रतिशतता की राशि सहित निर्माण कार्यों का एक ही बजट शीर्ष में इकजाई (Consolidated) बजट प्रावधान किया जायेगा एवं IFMS में system पर विभाग के राजस्व व्यय शीर्ष में प्रोरेटा/प्रतिशतता चार्जेज की वसूली दर्शित की जायेगी।

   WAM module में विभाग द्वारा केवल निर्माण कार्यों की पूर्ण राशि का ही बिल बनाया जायेगा एवं उस बिल में प्रोरेटा/प्रतिशतता चार्जेज की राशि IFMS में system पर पूंजीगत शीर्षों में व्यय के रूप में एवं राजस्व व्यय मद में वसूली स्वतः दर्शित होगी।
7. समस्त विभागों द्वारा राजस्व (Revenue) मद के समस्त बजट शीर्षों की समीक्षा की जावे, यदि कोई व्यय पूंजीगत प्रकृति का है तथा उसका प्रावधान वर्तमान में राजस्व मद में किया जा रहा है तो उसका प्रावधान परिशिष्ट–।। (3) के अनुसार पूंजीगत (capital) मद/पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु के अन्तर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जावे। अनुरक्षण/मरम्मत के ऐसे कार्य, जिनका उद्देश्य आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण से है, उनके लिए बजट प्रावधान पूंजीगत बजट शीर्षों में करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
8. वित्त (EAD) विभाग के परिपत्र दिनांक 28.12.2020 के अनसुार विभाग की देयताओं (Liabilities) को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (IFMS) पर Upload किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों/खण्डीय अधिकारियों